।। श्री गणेशाय नमः ।। 5000Rs.

Senior Treasury Offiecr - Mathura

29 NOV 2005

Sig-Sr.T.O.

बैनामा 300000/–रूपया स्टाम्प हेतु मालियत 300000/–रूपया स्टाम्प देय 30000/–रूपया जिसमें से 12000/–रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–24.3.2005 प्रलेख संख्या–2710 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 18100/–रूपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/–रूपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या–41 के कमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ0नि0 मथुरा।

हमकि सतीशचन्द व मनीषचन्द्र पुत्रगण श्री मिहीलाल व श्रीमती सोनदेई पत्नी श्री मिहीलाल निवासीगण ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री श्यामसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी वृन्दावन दरवाजा मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जनरल स्टाम्प

क्रमांक 22 दि० 3-12-2005 मू० 2000/-

नाम श्री उमादत्त सिंह पुत्र श्री [illegible]

ग्राम [illegible]

[illegible]

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता ला० नं० 7 सन 1983
दफ्तर रजिस्ट्री आफिस मथुरा

... अधिनियम की धारा 16-
... इकरारनामा सं० 2/16/-
वर्ष 2004 पर अदा किया गया।
स्टाम्प शु० 119 विक्रय विलेख सं० ...
के साथ समायोजित किया गया।

रु० 300000/-
300000

सतीश कुमार

सतीश कुमार

श्याम सिंह

[illegible]

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

सत्यमेव जयते

भारत

Rs 5000

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

Senior Treasury
Offiecr - Mathura
29 NOV 2005
Sig-Sr.T.O.

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नबर–160 व खसरा नंबर–65 रकवा 4.711 हैक्टेयर लगानी 85.65 रूपये सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 1/16 मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है। और प्रथमपक्ष का ही नाम दर्जकागजात सरकारी है जिस हिस्सा 1/16 पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 1/16 में सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के हिस्से 1/16 का बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

Senior Treasury Offiecr - Mathura

29 NOV 2005

Sig-Sr.T.O.

(3)

1/16 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/—रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/16 की स्टाम्प हेतु मालियत 300000/—रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक—24.3.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर—1 जिल्द 1425 के सफा 113/120 नंबर—2710 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस

Senior Treasury
Officer - Mathura
01 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

(4)

मुहायदा वै में 12000 / –रूपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100 / –रूपये का स्टाम्प कमकर 11900 / –रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 18100 / –रूपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 1 / 16 को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 300000 / –तीन लाख रूपया जिसके आधे 150000 / –एक लाख पचास हजार रूपया होते हैं। बदस्त **श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा** के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार से बजरिये दो किता चैक प्रथम नंबर–8271761 तादादी 200000 / –रूपये व द्वितीय नंबर–8271762 तादादी 100000 / –रूपये दोनों चैक बैंक ऑफ इण्डिया मथुरा शाखा

Senior Treasury Officer
Sig-Sr.T.O.

(5)

दोनों दिनांक–3.12.2005 द्वारा वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/16 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/16 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसान को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/16 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब

Treasury
Mathura
2005

(6)

विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों व विक्रेता प्रथमपक्ष चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि हैं । विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही

(7)

नंबर–4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को केता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है।

50 Rs.

(8)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

सतीशकुमार मनीषकुमार सोनदेई श्यामसिंह

दिनांक–3.12.2005

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया पुत्र, स्व0 श्री महेशकुमार
गिर्राज फोटो स्टेट रजिस्ट्री कार्यालय के सामने, मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

गवाह→ अमरसिंह S/o शिवलाल
गाँव- आन्योर गोवर्धन जिला मथुरा

गवाह→ रतनसिंह S/o केली
गोवर्धन आन्योर
(जिला, मथुरा)

रतनसिंह

गवाह हरीचंद S/o कुन्दनसिंह
R/o आन्योर
जि. मथुरा

[illegible] स्टाम्प
क्रमांक 2[illegible] दि० 31[illegible] को [illegible]
नाम
संलग्न सं० 2[illegible] दि०
22

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता ला० नं० 7 सन 1983
दफ्तर रजिस्ट्री आफिस मथुरा

कार्यालय [illegible]
28 NOV 200
[illegible]

आज दिनांक 3-12-08 को [illegible]
पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 1655 के पृष्ठ 95-112
में [illegible]
दर्ज किया गया। 11621

उप निबन्धक द्वितीय, [illegible]

खतौनी

19254 ग्राम का नाम : आन्यौर   परगना : कोसी खुर्द   तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1408-1413   भाग : 1

पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
---2---		3	4	5	6	7-12	13
अपंजीय भूमिधरी कब्जाधिकार में हो।							
कैले	नि. ग्राम	1360फ	65	4.7110			
नवाली	नि. ग्राम	1360फ	82	4.8530			
नवाली	नि. ग्राम						
कैलो	नि. ग्राम						
कैलो	नि. ग्राम						
कैलो	नि. ग्राम						
कैलो	नि. ग्राम						
शिवलाल	नि. ग्राम						
शिवलाल	नि. ग्राम						
शिवलाल	नि. ग्राम						

1408फ व आदेश श्रीमान ना0 तह0 गो0 तह0 के द्वारा वाद न0 131NTG 12.10.2000 के अनुसार खाता न0 160 पर दर्ज खातेदार नवली पुत्र बदले नि0 ग्राम आन्यौर का नाम खारिज करके वजाय स्वीकृत वसीयत विजयपाल पुत्र नवाली नि0 आन्यौर का नाम बतौर स0 भू0 अंकित हो ह0 ल0 25.10.2000

1408फ व आदेश ना0 तह0 गो0 वाद न0 191NTG 20.10.2000 को आदेश हुआ कि खाता स0 160 गाटा स0 65 रकवा 4.711 ल0 85.65 के यथोचित भाग रकवा 0.127 रकवा से विक्रेता खातेदार केशव देव पुत्र नवाली नि0 आन्यौर का नाम खारिज करके सहखातेदार क्रेता चन्द्रपाल पुत्र नवाली नि0 आन्यौर का नाम बतौर स0 भू0 सहखातेदार दर्ज हो ह0 ल0 25.10.2000

1408फ

व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि027.11.2000पक 11क के क्र0 69 पर मिहीलाल मृतक बताया गया मृतक का नाम खारिज करके वारिस सतीश चन्द व मनोज चन्द पुत्रगण मिहीलाल व श्रीमती सोनदेवी पत्नी मिहीलाल नि0 ग्राम बतौर वारिस दर्ज हो ह0 ल0 27.11.2000

1413फ- व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन वाद संख्या 376NTG ता0फे0 30.9.05 के अनुसार खाता संख्या 160 के खसरा संख्या 65 रकवा 4.711 भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता रतन सिंह पुत्र कैलो निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेन्शन कालोनी

प्रमाणित प्रतिलिपि नकल खतौनी
01 JAN 2007
प्रतिलिपिकार 09
तहसील सदर, मथुरा

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 76/2006-07

प्रतापसिंह   बनाम   सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा आन्यौर

घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 23.1.2007 से विदित है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता खतौनी संख्या 160 खसरा संख्या 65 रकवा 4.711 में से रकवा 2.917है0 भूराजस्व 85.65 पैसे/के प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि0 मोती कुन्ज एक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदिकृषि के कार्यों में नहीं लाई जा रही है। यह भूमि किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आवादी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्नप्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकवा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का विवरण खसरा	रकवा	अन्य भूराजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्यौर मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि0 मोतीकुन्ज ऐक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा	160	65	4.711	85.65	65	2.917है.	53.00पैसे
	योग-	1किता	1किता4.711		85.65	1किता2.917है.		53.00

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे।

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक: 23.1.2007

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा कोउपरोक्तानुसार कार्रवाई कराने हेतु प्रेषित।

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक: 23.1.2007

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट मथुरा

सत्य प्रतिलिपि
अहलमद, उपजिलाधिकारी
मथुरा
29/11/07

नकल 757
नाम आवेदक प्रताप सिंह
आवेदन देने का दि० 29/11/07
स्टाम्प 7
नकल तैयारी का दि० 29/11/07
नकल जारी करने का दि० 29/11/07
शब्दों की संख्या 450

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संाराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00160	नत्थी	बदले	नि. ग्राम	1360फ	65	4.7110		1408फ व आदेश श्रीमान ना0 तह0 गो0 महो0 के द्वारा वाद स0 181NTG/12.10.2000 के अनुसार खाता स0 160 पर दर्ज खातेदार नत्थी पुत्र वदले नि0 ग्राम आन्यौर का नाम खारिज करके वजरिये पजीकृत वसीयत विजयपाल पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम वतौर स0 भू0 अकित हो ह0 ले0 25.10.2000 1408फ व आदेश ना0 तह0 गो0 वाद स0 191NTG/ 20.10.2000 को आदेश हुआ कि खाता स0 160 गाटा स0 65 रकवा 4.711 ल0 85.65 के यथोचित भाग मेसे 0.127 रकवा से विक्रेता खातेदार केशव देव पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम खारिज करके सहखातेदार क्रेता चन्द्रपाल पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम वतौर स0 भू0 सहखातेदार दर्ज हो ह0 ले0 25.10.2000 1408फ व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि027.11.2000पक 11क के क्र0 69 पर मिहीलाल मृतक वताया गया मृतक का नाम खारिज करके वारिस सतीश चन्द व मनीश चन्द पुत्रगण मिहीलाल व श्रीमती सोनदेवी पत्नी मिहीलाल नि0 ग्राम वतौर वारिस दर्ज हो ह0 ले0 27.11.2000 1413फ- व आदेश श्रीमान नायव तहसीलदार गोवर्धन बाद सख्या 376NTG ता0फै0 30.9.05 के अनुसार खाता सख्या 160 के खसरा सख्या 65 रकवा 4.711 भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता रतन सिह पुत्र कैसी निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिह पुत्र मोहर सिह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेन्शन कालौनी	
	केशवदेव	मवासी	नि. ग्राम	1360फ	82	4.8530			
	चन्द्रपाल	मवासी	नि. ग्राम						
	बाबूलाल	केसी	नि. ग्राम						
	मिहीलाल	केसी	नि. ग्राम						
	रतन सिह	केसी	नि. ग्राम						
	श्रीमती किरन देई विधवा	केसी	नि. ग्राम						
	रमेशचन्द	शिवलाल	नि. ग्राम						
	सूरजभान	शिवलाल	नि. ग्राम						
	अमर सिह वालिगान	शिवलाल	नि. ग्राम						

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------2------------			3	4	5	6	7-12	13
								मौजा मिर्जा पुर का नाम वजरिये बैनामा दर्ज हो ह0 A ARK30.9.05 1413फ- व आदेश श्रीमान नायव तहसीलदार गोवर्धन बाद सख्या 94NTG ता0फै0 6.1.06 के अनुसार खाता सख्या 160 के खसरा ख्या 65 रकवा 4.711 है. भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता सतीशचन्द व मनीषचन्द पुत्रगण श्री मिहीलाल व श्रीमती सोनदेई पत्नी श्री मिहीलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिह पुत्र मोहर सिह निवासी मोतीकुन्ज एक्टेन्शन मौजा विरजापुर का नाम वजरिये बैनामा बतौर स0 भू0 दर्ज हो ह0ARk 6.1.06 1413फ- व आदेश श्रीन तहसीलदार मथुरा बाद सख्या 77ATM ता0फै0 12.1.06 के अनुसार खाता सख्या 160 के गाटा सख्या 64/4.711 है. भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता अमर सिह पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता श्री प्रताप सिह पुत्र मौहर सिह निवासी मोंती कुन्ज एक्टेन्शन मौजा विरजापुर का नाम बैनामा दिनांक 7.12.05 के बतौर अकित हो ह0RK. 12.1.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.1391 TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं. 65/4.711 के यथोचित भाग से विक्रेता विजयपाल पुत्र मवासी निवासी ग्राम का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 6.9.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का नाम बतौर दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.1392 TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं.	147

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	---2---			3	4	5	6	7-12	13
								65/4.711 भू.रा.85.65 मे से रकवा 0.855 से विक्रेता केशवदेव पुत्र मवासी व रमेश पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम के यथोचित भाग से विक्रेतागण का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 6.9.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का नाम बतौर सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06 1414फ व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन वाद सं.602NTG ता.फै.21.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं.65/4.711 भू.रा.60ख के यथोचित भाग से विक्रेता सूरजभान पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज कर के क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर का नाम बजरिये बैनामा सं.भू. अंकित हो। ह.ARK.29..11.06	
				कुल गाटे : 2	कुल क्षे :	9.5640	173.90		

हस्ताक्षर